

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1094 / 2023

रामलाल मेघवाल (कर्मचारी आई.डी.— आरजेपीजी199930004995)

—अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं
अन्य।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.03.2023

आदेश की दिनांक : 01.05.2023

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अध्यापक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, साठपुर ब्लाक धरियाबाद जिला प्रतापगढ में कार्यरत है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का चयन 6-डी के द्वारा आदेश दिनांक 15.06.2018 से किया गया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी स्वयं बीमार रहते हैं तथा उनकी पत्नी भी कई रोगों से ग्रस्त है तथा बच्चे बाहर रहते हैं। अपीलार्थी के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए अपीलार्थी की पत्नी का घर पर सेवा करने वाला अन्य कोई पारिवारिक सदस्य नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी ने अपने निवास स्थान के निकट स्थानांतरण कराने हेतु दिनांक 11.05.2022 को अपना एक अभ्यावेदन प्रत्यर्था विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया है। परंतु उसके अभ्यावेदन पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है।
3. का वर्तमान पदस्थापित स्थान उसके निवास स्थान से 100 किमी. की दूरी पर है। अपीलार्थी के पिता विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्ति है। जिनकी देखभाल

की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी के पति भी गुर्दे की बीमारी से ग्रसित है तथा अपीलार्थी स्वयं भी किडनी की समस्या से पीड़ित है, जिसका ईलाज हाल ही में नारायण हृदय अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण करके किया गया है। अपीलार्थी ने अपनी इन सभी परेशानियों के चलते प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 15.06.2022 और 26.06.2022 को उसके पिता के विशेष योग्यजन होने तथा देखभाल में आने वाली परेशानियों मददेनजर अभ्यावेदन भी प्रस्तुत कर चुकी है, परंतु उसके अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया गया है, जो गलत है।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे हैं वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)